कार्यालय, नगर पालिक निगम,भिलाई

मेयर इन काऊंसिल की बैठक दिनांक 17.02.2017 समय अपरान्ह 03.00 बजे

उपस्थिति पत्रक

कमांक	नाम	पद/समिति के विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री देवेन्द्र यादव	महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई	
2.	श्री साकेत चन्द्राकर	वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण	17/02/2017
3.	श्रीमती सुभद्रा सिंह (अनिल सिंह)	सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग	
4.	श्री दुर्गा प्रसाद साहू	नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग	17.2.17
5.	श्री नीरज पाल	लोक कर्म विभाग	अनुपस्थित
6.	श्रीमती सदीरन बानो	जल–कार्य विभाग	सदीरन बानो
7.	श्री जोहन सिन्हा	राजस्व विभाग	
8.	श्री लक्ष्मीपति राजू	खाद्य,लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग	
9.	डॉ० दिवाकर भारती	अग्निशमन,विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग	
10.	श्री राजेन्द्र रजक	गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण	अनुपस्थित
11.	कु. सोसन लोगन	महिला एवं बाल विकास विभाग	Logan
12.	श्री नरेश कोठारी	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	अनुपस्थित
13.	श्री केशव कुमार बन्छोर	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	17.02.17
14.	श्रीमती तुलसी पटेल	पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग	Patel
15.	श्रीमती सुशीला देवांगन	संस्कृति, पर्यटन,मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग	17-2-2017

मेयर इन काऊंसिल की बैठक दिनांक 17.02.2017 को मेयर इन काऊंसिल के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव, महापौर की अध्यक्षता में निगम के मुख्य कार्यालय स्थित महापौर कक्ष में निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई । उक्त बैठक में उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त आयुक्त के प्रतिनिधि श्री जी.एस.ताम्रकार, अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे।

कार्यालय ,नगर पालिक निगम भिलाई

प्रस्ताव कमांक–01 दिनांक 17.02.2017

विषय – प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति की सूचना । केन्द्रीय भंडार (स्टोर)

छ.ग. नगर पालिका (मेयर इन कांउसिल/प्रेसीडेंट इन कांउसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य/नियम 1998 के नियम 5 ख "छ" के अनुसार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों से 50 प्रतिशत या उससे अधिक की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्रं.	प्रकरण शीर्ष	प्रदत्त वित्तीय स्वीकृत राशि	स्वीकृत दिनांक	कार्यादेश क्रं./ दिनाक
1	जोन 2 वैशालीनगर हेतु एलईडी फिक्चर्स 45 वॉट एवं 90 वॉट क्रय	46.20 लाख	12.05.2016	26 / 16.05.2016
2	सीएफएल लेम्प 85 वॉट क्रय	32.35 लाख	24.06.2016	34 / 27.06.2016
3	जोन 3 हेतु एलईडी फिक्चर्स 90 वॉट क्रय	48.09 लाख	24.06.2016	38 / 27.06.2016
4	सीएफएल लेम्प 85 वॉट क्रय	31.06 लाख	15.09.2016	72 / 19.09.2016
5	सीएफएल लेम्प 85 वॉट क्रय	45.30 लाख	26.12.2016	130 / 30.12.2016

तद्नुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत ।

संकल्पः– आयुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को महापौर परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

सचिव
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई

<u>कार्यालय ,नगर पालिक निगम भिलाई</u>

प्रस्ताव कमांक–02 दिनांक 17.02.2017

विषय– नगर निगम सीमा क्षेत्र के विद्युत पोलों में एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने के संबंध में।

नगर निगम सीमा क्षेत्र के विद्युत पोलों में एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने के संबंध में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 03.10.2016 प्रस्ताव कमांक–03 में नगर निगम सीमा क्षेत्र के विद्युत पोलों में पारंपरिक सड़क बत्ती के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने से विद्युत देयक में 50 प्रतिशत तक की कमी के संबंध में ई.ई.एस.एल. के अधिकारियों से महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यों के साथ चर्चा/प्रेजेन्टेशन पश्चात् प्रकरण महापौर परिषद की आगामी बैठक में रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया।

पारित संकल्प के परिपालन में प्रबंधक ई.ई.एस.एल. को पत्र कमांक–46 दिनांक 7.10.16 के द्वारा निगम कार्यालय में उपस्थित होकर महापौर परिषद के सदस्यों को प्रेजेन्टेशन देने हेतु सूचित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में ई.ई.एस.एल. के रिजनल मैनेजर द्वारा दिनांक 20.10.16 को उपस्थित होकर महापौर परिषद के सदस्यों को एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया ।

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 27.10.2016 प्रस्ताव कमांक–03 में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में विस्तृत जानकारी के साथ प्रकरण महापौर परिषद की आगामी बैठक में रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया ।

इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक एस–267/09/सूडा/एल.ई.डी./एस.एल./2015/2521 रायपुर दिनांक 01.04.15 एवं छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र कमांक 5–35/2014/18 नया रायपुर दिनांक 23.06.2016 तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक या.प्र./2016/9780 रायपुर दिनांक 19.10.16 एवं महापौर परिषद की बैठक दिनांक 03.10.2016 तथा दिनांक 27.10.2016 में पारित संकल्प की छाया प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त पारित संकल्पों दिनांक 03.10.2016 एवं दिनांक 27.10.2016 के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक या.प्र./2016/9780 रायपुर दिनांक 19.10.16 संलग्न कर प्रकरण के निराकरण हेतु महापौर परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्पः– महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त नगर निगम सीमा क्षेत्र के विद्युत पोलों में पारंपरिक सड़क बत्ती के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने के संबंध में ई.ई.एस.एल. के साथ सम्पादित की जाने वाली अनुबंध में निम्नांकित संशोधनों को सम्मिलित करते हुए ई.ई.एस.एल. के साथ अनुबंध करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गयाः–

1. **ई.ई.एस.एल. के द्वारा एल.ई.डी. फिटिंग लगाने के उपरांत शहर में लगी हुई स्ट्रीट लाईट फिटिंग का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा अतः उक्त फिटिंग से निगम को होने वाली नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में फिटिंग की अनुमानित राशि का 50 प्रतिशत की राशि निगम को देगा ।**
2. **ई.ई.एस.एल. के द्वारा एल.ई.डी. फिटिंग लगाने के उपरांत नगरपालिक निगम के द्वारा सी.एस.ई.बी. को भुगतान किये जाने वाले वर्तमान बिजली के बिल में बचत के संबंध में अनुबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है अतः नगरपालिक निगम के द्वारा सी.एस.ई.बी. को भुगतान किये जाने वाले वर्तमान बिजली बिल में 50 प्रतिशत बचत की गारंटी ई.ई.एस.एल. के द्वारा लिये जाने का उल्लेख अनुबंध में किया जावे।**

क्रमशः2/–

215

3. चूँकि ई.ई.एस.एल. के द्वारा किये जाने वाले कार्य की अवधि 07 वर्षों की है अतः 07 वर्षों में ई.ई.एस.एल. को कुल भुगतान किये जाने वाली राशि की 10 प्रतिशत राशि को परफारमेंस गारंटी या बैंक गारंटी के रूप में निगम में जमा कराया जावे।
4. अनुबंध के बाद कार्यादेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर पारंपरिक सड़क बत्ती के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने का कार्य पूर्ण करना होगा

सचिव
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई

<u>कार्यालय ,नगर पालिक निगम भिलाई</u>

प्रस्ताव कमांक–03 दिनांक 17.02.2017

विषय– वार्ड कमांक–47 सेक्टर–1 किकेट ग्राउण्ड में फ्लड लाईट एवं मूलभूत सुविधा कार्य।

वार्ड क0–47 सेक्टर–1 किकेट ग्राउण्ड में फ्लड लाईट एवं मूलभूत सुविधा कार्य हेतु दिनांक 09.11.2016 को आफर आमंत्रित किया गया था । उक्त कार्य हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है। तदानुसार आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 01.10.2016 को आफर आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई। शासन द्वारा दिनांक 9.11.2016 को बैंक एवं पोस्ट आफिस बंद रखने के आदेश के कारण कार्य हेतु 10.11.2016 को ऑफर प्राप्त कर दिनांक 11.11.2016 को खोला गया । जिसमें न्यूनतम दर मे0 कुनाल बिल्डर्स भिलाई की प्राप्त हुई ।

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 18.11.2016 में पारित प्रस्ताव क0–10 अनुसार उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत उपरोक्त प्रस्ताव एवं निविदा क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार रू0 1,10,15,627.00 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त राशि शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने, शासन से राशि प्राप्त होने तक प्रस्तावित कार्य हेतु निगम मद से बजट आबंटित करने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया ।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क0/1174/चार/ले.अनु./2016–17 नया रायपुर दिनांक 28.11.2016 अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु राशि रू0 1,10,15,627.00 मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई तद्उपरांत न्यूनतम दरदाता से संविदा निस्पादन कर दिनांक 30.11.2016 को कार्यादेश प्रदान किया गया । उपरोक्त कार्य प्रगति पर है । वार्ड पार्षद एवं इस्पात क्लब सेक्टर–1 के पदाधिकारीगण द्वारा सेक्टर–1 किकेट ग्राउण्ड के कुछ स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट लगाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। आवश्यकता को देखते हुए सेक्टर–1 किकेट ग्राउण्ड के कुछ स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने हेतु राशि रू0 26,94,349.00 मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जो स्वीकृत राशि का 24.46% है जो 25% के अंतर्गत है।

अतः सेक्टर–1 किकेट ग्राउण्ड में फ्लड लाईट लगाने एवं मूलभूत सुविधा कार्य अंतर्गत् किकेट ग्राउण्ड के कुछ स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट लगाने के कार्य पर अतिरिक्त व्यय राशि 26,94,349.00 मात्र (पूर्व स्वीकृत राशि 1,10,15,627.00) इस प्रकार कुल पुनरीक्षित व्यय राशि 1,37,09,976.00 मात्र की स्वीकृति प्रदान करने एवं अनुबंधित एजेंसी से कार्य कराये जाने की अनुमति के संबंध में प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

संकल्पः– महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुसार रू. 26,94,349.00(अक्षरी छब्बीस लाख चौरानबे हजार तीन सौ उन्चास रूपये) मात्र की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान करने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया ।

सचिव
नगर पालिक निगम

महापौर
नगर पालिक निगम

(217)

<u>कार्यालय ,नगर पालिक निगम भिलाई</u>

प्रस्ताव कमांक–04 दिनांक 17.02.2017

विषय– महापौर महोदय के लिये 01 नग नया वाहन माडल इनोवा किस्टा कय ।

विषयांकित मांग अनुसार मेयर–इन–काउन्सिल के बैठक दिनांक 27/10/2016 के प्रस्ताव एवं संकल्प कं. 05 में पारित निर्णयानुसार 01 नग स्कार्पियों बी.एस.–4 2WD S10 कय हेतु पूर्व में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

महापौर महोदय जी के मंशा अनुरूप पूर्व में शासन को प्रेषित प्रस्ताव को परिवर्तित करते हुए निर्मात्री संस्थान टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त स्पेशल शासकीय दर पर 01 नग इनोवा किस्टा कय हेतु व्यय **राशि 17,45,969.00 रू.** (अक्षरी सत्रह लाख पैंतालीस हजार नौ सौ उन्नहत्तर रूपये) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं बजट आबंटन उपरांत सक्षम स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के लिये प्रकरण महापौर परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्पः– **महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुसार रू0 17,45,969.00 (अक्षरी सत्रह लाख पैंतालीस हजार नौ सौ उन्नहत्तर रूपये) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा सक्षम स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया ।**

सचिव
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 17/02/2017 में पारित संकल्प क्रमांक 01 से 04 तक पढ़कर सुनाया गया, जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से की गई। उक्त बैठक में श्री देवेन्द्र यादव, महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं आयुक्त के प्रतिनिधि श्री जी.एस. ताम्रकर अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः—

क्र.	नाम	पद/समिति के विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री साकेत चंद्राकर	वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण	
2	श्रीमती सुभद्रा सिंह (अनिल सिंह)	सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग	
3	श्री दुर्गा प्रसाद साहू	नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग	
4	श्रीमती सदीरन बानो	जलकार्य विभाग	
5	श्री जोहन सिन्हा	राजस्व विभाग	
6	श्री लक्ष्मीपति राजू	खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग	
7	डॉ दिवाकर भारती	अग्निशमन, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग	
8	कु. सोसन लोगन	महिला एवं बाल विकास विभाग	
9	श्री केशव कुमार बंछोर	शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	
10	श्रीमती तुलसी पटेल	पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग	
11	श्रीमती सुशीला देवांगन	संस्कृति, पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग	

सचिव
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई